सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः— भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 18 / 2013—अपील
पंजीयन दिनांक— 15—04—2013
निर्णय दिनांक — 14—03—2018

1— नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

01— श्री डॉ सज्जनसिंह सिंघवी पिता जीवन सिंह सिंघवी निवासी उदयपुर।
02— श्री मोहनलाल महाजन पिता नाम मालुम नहीं, निवासी गायरियावास, उदयपुर (राज.)
03— श्री लक्ष्मीलाल महाजन पिता नाम मालुम नहीं, निवासी गायरियावास,उदयपुर (राज.)
04— श्री गुलाबचन्द्र महाजन पिता नाम मालुम नहीं, निवासी गायरियावास, उदयपुर (राज.)
05— श्री मोहनलाल महाजन पिता नाम मालुम नहीं, निवासी गायरियावास, उदयपुर (राज.)
06— श्री बंशीलाल महाजन पिता नाम मालुम नहीं, निवासी गायरियावास, उदयपुर (राज.)
07— श्री चतरसिंह महाजन पिता नाम मालुम नहीं, निवासी गायरियावास, उदयपुर (राज.)
08— श्री मदनसिंह महाजन पिता नाम मालुम नहीं, निवासी गायरियावास, उदयपुर (राज.)
09— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

—— रेस्पोडेण्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, गिर्वा प्रकरण संख्या 169 / 2007
निर्णय दिनांक 31—08—2007

उपस्थितिः—
01—श्री नरपतसिंह चुण्ड़ावत ——अधिवक्ता अपीलाण्ट
02—श्री नरेश जणवा —— अधिवक्ता रेस्पों. संख्या—1

निर्णय

दिनांकः—14—03—2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप जिला कलक्टर, गिर्वा जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 169/2007 निर्णय दिनांक 31–08–2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रस्तत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्रम गायरियावास , पटवार मण्डल सविना के हाल आराजी नं. 60 रकबा 0.400 है., आराजी नम्बर 61 रकबा 0.1500 हैक्टर, आराजी नं. 64 रकबा 0.0550 कुल किता–3 रकबा 0.2450 हैक्टर भूमि वरदीचन्द वल्द धर्मचन्द महाजन सा. के नाम दर्ज थी। जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 19.01.1934 को दौलत सिंह पिता चौथमल जी खंजाची को बेची गई और दौलतसिंह पिता चौथमलजी खजांची द्वारा दिनांक 19.03.1945 को प्रार्थी जीवनसिंह जी पिता भूरसिंह जी को बेचान किया गया। रेस्पों.संख्या–1 का भूमि क्रय दिनांक से कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी का बापी पट्टा बाद हसल मंजूरी राज श्री महकमा खास नम्बर 17046 दिनांक 18.07.1942 से बिल एवज रुपया 360/–में प्राप्त किया। उक्त विवाादित भूमि जमाबन्दी बंदोबस्त राजमेवाड़, उदयपुर सम्वत् 1987 सफा नम्बर 12 पर इन्द्राज थी। पैमाईष में उक्त विवादित आराजी रेस्पों. संख्या 1 के नाम से हटाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई। जिस कारण रेस्पों. संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत इन्द्राज दुरुस्ती का न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा उदयपुर में पेश किया गया। न्यायालय उपजिला कलक्टर गिर्वा द्वारा रेस्पों. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरुस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पों. सं. 1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन नोटिस जारी किये गये। तहत की पत्रावली मंगवाई गई। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पों. संख्या 1 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.03.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि राजस्व ग्रम गायरियावास के हाल आराजी नं. 60 रकबा 0.400 है., आराजी नम्बर 61 रकबा 0.1500 हैक्टर, आराजी नं. 64 रकबा 0.0550 कुल किता–3 रकबा 0.2450 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में शुरु से ही बिलानाम दर्ज है तथा जिला कलक्टर महोदय द्वारा आबादी विस्तार हेतु नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को दिनांक 15.04.1979 को हस्तान्तरित की गई जो राजस्व रेकार्ड में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। आराजी नं. 62 रकबवा 0.0700 है. भूमि निजी खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमि के आराजी नं. 60, 61 ,64 शुरु से ही बिलानाम भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2007 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 1 ने बहस में बताया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वरदीचन्द वल्द धर्मचन्द महाजन सा. के नाम दर्ज थी। जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 19.01.1934 को दौलत सिंह पिता चौथमल जी खंजाची को बेची गई और दौलतसिंह पिता चौथमलजी खजांची द्वारा दिनांक 19.03.1945 को प्रार्थी जीवनसिंह जी पिता भूरसिंह जी को बेचान किया गया। रेस्पों.संख्या–1 का भूमि क्रय दिनांक से कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी का बापी पट्टा बाद हसल मंजूरी राज श्री महकमा खास नम्बर 17046 दिनांक 18.07.1942 से बिल एवज रुपया 360/–में प्राप्त किया। उक्त विवाादित भूमि जमाबन्दी बंदोबस्त राजमेवाड़, उदयपुर सम्वत् 1987 सफा नम्बर 12 पर इन्द्राज थी। पैमाईश में उक्त विवादित आराजी रेस्पों.संख्या 1 के नाम से हटाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई। विवादित भूमि के साबिक आराजी नं. 24 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नं. 25 व 26 रकबा 18 बिस्वा जिसके नये आराजी संख्या 60 रकबा 0.0400 हैक्टर, आ.नं. 61 रकबा 0.1500 हैक्टर, आ.नं.62 रकबा 0.0700 है.. एवं आराजी नं. 64 रकबा 0.0550 है.कुल रकबा 0.3150 हैक्टर बनता है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार 0.2450 हैक्टर भूमि पैमाईश के समय रेस्पों. के खाते में कम दर्ज कर बिलानाम दर्ज की दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजों को देखकर रेस्पों. का इन्द्राज दुरुस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कमी रकबा 0.2450 हैक्टर रेस्पों. के नाम दर्ज किये जाने के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। आगे यह भी कथन किया कि भू–अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता है लेकिन भू–प्रबन्ध के दौरान अगर कोई गलत इन्द्राज कर दिया गया है तो उसको दुरस्त किया जा सकता है, यह कार्य भू–प्रबन्ध का कार्य बन्द हो जाने के बाद भी किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2002 (2) पेज 783, आर.आर.डी. 1983 पेज 285 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील निरस्त फरमाई जाकर उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2007 बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। यह तथ्य सही है कि राजस्व ग्रम गायरियावास के हाल आराजी नं. 60 रकबा 0.400 है.,आराजी नम्बर 61 रकबा 0.1500 हैक्टर, आराजी नं. 64 रकबा 0.0550 कुल किता–3 रकबा 0.2450 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। अपीलान्ट का कथन है कि भूमि बिलनाम होने से जिला कलक्टर महोदय द्वारा आबादी विस्तार हेतु नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को दिनांक 15.04.1979 को हस्तान्तरित की गई। विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर देते हुए बतया कि वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 19.01.1934 को दौलत सिंह पिता चौथमल जी खंजाची को बेची गई और दौलतसिंह पिता चौथमलजी खजांची द्वारा दिनांक 19.03.1945 को प्रार्थी जीवनसिंह जी पिता भूरसिंह जी को बेचान किया गया। रेस्पों.संख्या–1 का भूमि क्रय दिनांक से कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी का बापी पट्टा बाद हसल मंजूरी राज श्री महकमा खास नम्बर 17046 दिनांक

18.07.1942 से बिल एवज रुपया 360/–में प्राप्त किया। उक्त विवाादित भूमि जमाबन्दी बंदोबस्त राजमेवाड़, उदयपुर सम्वत् 1987 सफा नम्बर 12 पर इन्द्राज थी। पैमाईश में उक्त विवादित आराजी रेस्पों.संख्या 1 के पिता के नाम से हटाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेन्ट में इन्द्राज को रिपिट करना होता है वह उसमें किसी प्रकार का इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना इन्द्राज को चेन्ज नहीं कर सकता है। जैसाकि आर.आर.टी. 2002(2) पेज 783 में दर्शाया गया है कि ''राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड़ अधिकारी को प्रदत्त किये गये है– भू अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता है–लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान अगर कोई गलत इन्द्राज कर दिया गया है तो उसको दुरस्त किया जा सकता है– यह कार्य भू–प्रबन्ध का कार्य बन्द हो जाने के बाद भी किया जा सकता है।'' ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया प्रतीत नहीं होता है। जिससे हमउ उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपजिला कलक्टर गिर्वा उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर